छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण कमांक 611/2007</u>

1. **श्रीमती रामायण बाई,** - *शिकायतकर्ता*
इंदिरा कालोनी, कसडोल,
जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *अनावेदक*
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, कसडोल,
जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 09 अप्रैल, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्रीमती रामायण बाई ने जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कसडोल के यहाँ दिनांक 12.07.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन उनके द्वारा सरंपच/सचिव को दिनांक 27.07.2007 को हस्तांतरित किया गया और जानकारी देने के निर्देश दिये गये, किन्तु समयावधि में जानकारी प्रदान नही करने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 23.08.2007 को यह शिकायत प्रस्तुत की है ।

2/ उभय पक्ष की सुनवाई की गई और प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को प्रथमत: बुलाया गया था, जिन्होंने पंचायत से संबंधित जानकारी हेतु आवेदन हस्तांतरित कराना बताया गया और स्वयं के कार्यालय से संबंधित जानकारी हेतु शुल्क जमा कराने हेतु सूचना दी, किन्तु आवेदक द्वारा शुल्क जमा नही कराया गया । प्रकरण में आयोग द्वारा 15 दिवस में जानकारी देने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु जानकारी उपलब्ध नही कराने के कारण तत्कालीन सचिव श्री मूलचंद जायसवाल को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 27.03.2008 को प्रस्तुत किया गया । उत्तर में उन्होंने पूरा रिकार्ड प्रभार में नही मिलने तथा दिनांक 19.12.2007 को अपीलार्थी को जानकारी प्रदान करना बताया गया तथा यह भी बताया गया है कि उनके पास केवल दिनांक 27.07.2007 से 29.12.2007 तक ही प्रभार रहा, अत: उनके द्वारा कोई दुभावनापूर्ण विलंब नही किया गया, किन्तु उत्तर पूरी तरह से संतोषप्रद

प्रतीत नही होता है, क्योंकि पांच माह की अवधि में भी उनके द्वारा रिकार्ड देखकर पूरी जानकारी दिया जाना चाहिए था, जबकि उनके द्वारा अधूरी जानकारी दी गई है और असत्यापित जानकारी दी गई है, अतः उनकी कार्यावधि में किये गये विलंब के लिए अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत थोड़ा उदार रूख अपनाते हुए एक हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है । प्रकरण में चूंकि वर्तमान सचिव की भी गलती रही है, अतः यह अनुशंसा उनके संबंध में की जाती है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर द्वारा अधिनियम की धारा-20(2) के अन्तर्गत उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि पूर्व में दी गई जानकारी को वर्तमान सचिव द्वारा सत्यापित करके प्रदान की जावे तथा जो जानकारी शेष रही है, वह भी सत्यापित करके अब 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क प्रदान की जावे । प्रकरण में विलंब एवं अधूरी जानकारी के कारण शिकायतकर्ता को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की ओर से राशि 200/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त शिकायत का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त